न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा
मु.नं. 93/2023

मोहनसिंह पुत्र मंगल जाति गुर्जर निवासी खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा।

– प्रार्थी

बनाम

1.निहाल
2.दिनेश
3.केवल
4.बिज्जी
} पि. गिर्राज

5.हरिसिंह पुत्र रघुवीर
6.जगन पुत्र रंगे
7.बाबू
8.शेरसिंह
9.मुकेश
10.जवानसिंह
11.सोमोती पत्नि रत्तीराम
12.राजहंस पुत्र हरभान(फोत)
12/1.हरप्यारी पत्नि राजहंस
12/2.मुकट
12/3.भाग्यसिंह
} पुत्रान राजहंस

12/4.लीला पुत्री राजहंस पत्नि मुकुट गुर्जर निवासी मोरोली तहसील बयाना जिला भरतपुर
13.गोपाल
14.नरसी
} पि. हरभान जाति गुर्जर निवासी खेडला बुजुर्ग तहसील महवा ।

15.पून्या
16.रामस्वरुप
17.रमेश
18.ज्ञानसिंह
} पिता. रत्तीरासम गुर्जर नि. खेडला बुजुर्ग।

19.सरवती पुत्री गिर्राज
20.शीशराम पुत्र जंगली
21.लड्डो पुत्री गिर्राज
22.रामचरण पुत्र जंगली
23.गंगाविशन पुत्र रघुवीर
24.बिजेन्द्र पुत्र गिर्राज
25.रामकिशोर पुत्र रधुवीर
26.हंसो पत्नि गिर्राज
27.ज्ञानसिंह पुत्र रधुवीर
28.हरीसिंह पुत्र जंगली
29.भंवर पुत्र रघुवीर
} समस्त जाति गुर्जर निवासी खेडलाबुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा।

30.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,महवा।

– अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128
राज.भूराजस्व अधि.
पत्थरगढी।

निर्णय दिनांकः 14.08.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 401/1.14 व 456/0.20 हैक्टर में अप्रार्थीगण 1 लगायत 30 का प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आये दिन अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 30 प्रार्थी की आराजी की डोलमेड तोडने की कोशिश करते रहते है इसी कारण अप्रार्थीगण से परेशान होकर प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त आराजी की पैमायश करवाई जो दिनांक 02.05.2022 को की गई परन्तु उक्त पैमाईश में निशा देही के साथ पत्थरगढी नहीं करवाई है जिससे सीमा विवाद पूर्व की भॉति कायम है इसी कारण प्रार्थी अपनी आराजी की पत्थरगढी कराये जाने का अधिकारी हैं। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार महवा से निवेदन किया तो पत्थरगढी करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि श्रीमान न्यायालय में कार्यवाही करावें। इसलिये प्रार्थना पत्र पत्थरगढी श्रीमान के समक्ष सुनवाई हेतु पेश किया गया है। अतः पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 30 वावजूद तहसील माध्यम से तामिल/रजिस्टर्ड तामिल के उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। विवादित आराजियात की तहसीलदार द्वारा पैमाईश की गई लेकिन निशानदेही पर पत्थरगढी नहीं होने से सीमा विवाद पूर्व कीं भॉति कायम है इसलिये प्रार्थी की आंराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना न्याय संगत है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 भूराजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

अंतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज. भूराजस्वं अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 401/1.14 व 456/0.20 हैक्टर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किंये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार महवा टीम गठित करें एवं टीम गठित करने से पूर्व खातेदारान को दिनांक व समय बावत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे। पर्चा मौका तैयार कर उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये जावे। उक्त आश्य की तहरीर तहसीलदार महवा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा